"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018— आषाढ़ 12, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 12, 1940)

क्रमांक-6817/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 11 सन् 2018), जो मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 11 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उन्हत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 49 एवं 50 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्र. 25 सन् 2006) में धारा 49 एवं 50 में जहां कहीं भी शब्द "शुल्क" आया हो के स्थापना पर क्रमश: शब्द "शिक्षण शुल्क" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य के अशासकीय महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्र. 25 सन् 2006) के प्रावधानों द्वारा शासित है;

और यत: अधिनियम की धारा 49 एवं 50 के अनुसार प्रबंधन द्वारा वसूल की गई शुल्क की कुल राशि में से पचास प्रतिशत राशि, संस्था के व्ययों को पूरा करने के लिए चिन्हित होगा और शेष पचास प्रतिशत को कोषालय या उप-कोषालय में जमा किया जायेगा;

अतएव, संबंधित शुल्कों को स्पष्टता प्रदान करने के लिये तथा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये, उक्त अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 29 जून, 2018

प्रेम प्रकाश पाण्डेय
उच्च शिक्षा मंत्री
(भारसाधक-सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) की धारा-49 एवं 50 का सुसंगत उद्धरण :-

मूल अधिनियम की धारा-49	अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानक दरों पर प्रबन्धन द्वारा वसूली गई शुल्क की कुल राशि का पचास प्रतिशत भाग संस्था के खर्चों को पूरा करने के लिए चिन्हित होगा और शेष पचास प्रतिशत को निर्धारित नियमों के अनुसार समायोजन से अथवा चालान के जरिये प्रत्येक माह के अन्तिम दिवस तक कोषालय में अथवा उप कोषालय में जमा किया जायेगा.
मूल अधिनियम की धारा-50	शुल्क का पचास प्रतिशत हिस्सा कोषालय या उप कोषालय में जमा करने के बाद संस्था में रखी गई राशि का लेखा पृथक से संधारित किया जायेगा. इस लेखे के संधारण के लिये प्राचार्य उत्तरदायी होगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.